झारखण्ड सरकार

**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।**

पत्रांक :– रा0खा0आ0(विविध)22 / 2022

प्रेषक,

**हिमांशु शेखर चौधरी**
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

**उपायुक्त,**
गुमला, लोहरदगा एवं सिमडेगा।

राँची, दिनांकः–

विषयः– **मुखिया को निगरानी समिति के कर्तव्य / अधिकार की जानकारी देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आयोग द्वारा पिछले दिनों लोहरदगा, गुमला एवं सिमडेगा जिले का भ्रमण किया गया। तीनों जिलों में मुखिया के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान मुखियागण द्वारा बताया गया कि उन्हें जनवितरण प्रणाली से संबंधित निगरानी समिति की जानकारी नहीं है। हाल के दिनों में पंचायत चुनाव सम्पन्न हुआ है। इन जिलों के पदाधिकारियों का दायित्व था कि वे नवनिर्वाचित मुखिया को निगरानी समिति के अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी ससमय देते। निगरानी समिति से संबंधित जानकारी प्राप्त होने से संबंधित योजनाओं में पारदर्शिता आती और योजनाओं के क्रियान्वयन में विचलन की संभावना कम होती। परंतु स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है।

अतः अनुरोध है कि जिलों में मुखिया को निगरानी समिति से संबंधित पूर्ण जानकारी 15 दिनों के अन्दर देने हेतु संबंधितों को निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0 / –
**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0(विविध)22 / 2022 राँची, दिनांकः–....................... /

प्रतिलिपिः– सभी उपायुक्त (गुमला, सिमडेगा एवं लोहरदगा छोड़कर) को समतुल्य कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

ज्ञापांकः–रा0खा0आ0(विविध)22 / 2022 - 954 राँची, दिनांकः–15.12.2022

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12

**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

D:\Premlata\Member Secretary.docx11